सं-ए.12018/02/2022-Estt.III

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

स्थापना-III अनुभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली110-011

दिनांक: ....

<u>अधिसूचना</u>

यह मंत्रालय राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय , स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली में निदेशक (पुस्तकालय) के मौजूदा **01 (एक)** पद संबंधी भर्ती नियमों में संशोधन हेतु प्रस्ताव की जांच कर रहा है। इस संदर्भ में प्रारूप भर्ती नियम तैयार किए गए हैं तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए गए हैं।

.2 भर्ती नियमो को अंतिम रूप देने हेतु निर्दिष्ट नोडल एजेंसियों के साथ भर्ती नियमों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव लेने के पहले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर अधिसूचना की तिथि से **तीस(30)** दिनों की अवधि के भीतर इस मामले पर सभी हितधारकों से टिप्पणिया, यदि कोई हो, आमंत्रित की जाती है। विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियाँ/सुझाव/टिप्पणियों को इस मंत्रालय द्वारा आवश्यकता/नियम अनुसार उचित विचार किया जाएगे।

3. टिप्पणियाँ/सुझाव अधोहस्ताक्षरी को कक्ष्य सं.330-सी, निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली – 110011 अथवा jaiswal.r72@nic.in में भेजी जा सकती हैं।

(राजीव जायसवाल)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेली-011 :23061323

[भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 2022

सा.का.नि.................. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय, भर्ती नियमावली, 2016 में, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय में निदेशक (पुस्तकालय) पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय भर्ती नियम, 2022 होगा।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद-संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान**-**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण** और वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि**- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता**- वह व्यक्ति-

   क. जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, या

   ख. जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परन्तु यदि केंद्रीय सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीकार्य विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति**– जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन या वेतन मान	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
निदेशक (पुस्तकालय)	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सरकार सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 (123100-215900 रू.)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है।	किन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	लागू नहीं	मिश्रित पद्धति-प्रतिनियुक्ति (अल्प कालीन संविदा सहित)प्रोन्नति द्वारा	मिश्रित पद्धति प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्प कालीन संविदा सहित)	लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

			केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त अथवा सांविधिक संगठनों के अधिकारी जो- (क) i. मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी हैं, या ii. वेतन मैट्रिक्स लेवल-12-रू. 78800-209200 में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा रखते हों, या iii. मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स लेवल-11-रू.67700-208700 में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 10 वर्ष का सेवा रखते हैं, या समकक्ष और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं: **अनिवार्य:** i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री, या ii. किसी पुस्तकालय में पर्यवेक्षकीय क्षमता में 12 वर्ष का अनुभव।		

			वांछनीय: i. केंद्र या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या सावर्जनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के किसी पुस्तकालय में पुस्तकालय कार्यों के कम्प्यूटरीकरण में एक वर्ष का अनुभव ii. स्वास्थ्य सेवा साहित्य के इंडेक्सिंग कार्य में एक वर्ष का व्यावसायिक अनुभव, iii. किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा। टिप्पणी-I: रू. 78800-209200 के वेतन लेवल-12 में विभागीय वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी जो ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं तथा किसी मान्यताप्राप्त विश्व विद्यलाय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री धारी हैं उन पर भी विचार किया जाएगा और पद पर नियुक्ति के लिए उनका चयन होने के मामले में पद को प्रान्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा, अन्यथा इसे प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) पर भरा हुआ माना जाएगा। टिप्पणी-2: केंद्र सरकार के एक ही या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद की प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) अवधि सहित प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) अवधि सामान्यत: 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति		

			(अल्प कालीन संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदनपत्र स्वीकार करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी-3: प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से । जनवरी, 2006 या छठे केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन मान लागू करने की तारीख से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग द्वारा अनुशंसित सिफारिशों के आधार संशोधित ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा किंतु इसमें वे मामले शामिल नहीं हैं जहां एक से अधिक संशोधन पूर्व वेतनमानों का समान ग्रेड वेतन या वेतनमान वाले किसी ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह लाभ केवल उन पदों के लागू होगा जिनके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतन मान बिना किसी अपग्रेडेशन के केवल सामान्य रिप्लेसमेंट ग्रेड है।		